

संरक्षा विभाग
सोलापुर मंडल



Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
13/2021-22



विषय: धुंध एवं कोहरे में बरती जाने वाली सावधानियाँ

Sub:- Precautions during Fog.

दिनांक/Date: 14.10.2021

संरक्षा परिपत्र संख्या - 13/2021-22

सभी संबंधित - सोलापुर मंडल

विषय :- धुंध एवं कोहरे में बरती जाने वाली सावधानियाँ

1. स्टेशन कर्मचारी -

- स्टेशन संचालन नियम के अनुसार दृश्यता परीक्षण लक्ष्य (VTO) उपलब्ध है,
- पर्याप्त कुहासिये उपलब्ध हैं,
- प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर पहले फॉग सिगनल पोस्ट लगाया गया है.
- पर्याप्त पटाखें (जिसकी वैधता समाप्त न हुई हो) उपलब्ध हैं,
- प्रथम रोक सिगनल से 270 - 280 मीटर की दूरी पर दो डिटोनेटर्स रखने हेतु डिटोनेटर्स के साथ फॉग सिगनलमैन को भेजेगा.

2. गाई -

- टेल लैम्प, साईड लैम्प एवं हाथ सिगनल जलाये गये हैं.
- पर्याप्त पटाखें (जिसकी वैधता समाप्त न हुई हो) उपलब्ध हैं,
- अपने निजी सामान एवं ब्रेकयान संरक्षा उपकरण यथावत उपलब्ध हैं.
- कोहरे का मौसम में अंतिम वाहन जांच साधन दर्शाने हेतु दिन और रात्रि के समय फ्लैशिंग लाल रोशनी प्रदर्शित करने के लिए अनुमोदित डिजाइन का लाल टेल लैम्प अंतिम वाहन पर प्रकाशित करना चाहिए.

3. लोको पायलट -

- हेड लाईट, मार्कर लाईट तथा हाथ सिगनल जलाये गये हैं.
- गाड़ी उस गति में हो, जिसमें गाड़ी को किसी अवरोध के पहले खड़ा किया जा सके.
- गाड़ी की गति किसी भी स्थिति में अधिकतम 60 किमी प्र.घ.से अधिक न हो.
- अपने निजी सामान एवं लोको संरक्षा उपकरण यथावत उपलब्ध हैं.
- आने वाली गाड़ी की फलेशर लाईट को देखकर निर्धारित कार्यविधि अपनायी गयी है.
- सीटी का उन्मुक्त प्रयोग किया जा रहा है तथा आवश्यक सतर्कता अपनायी गयी है.
- यदि इंजन में फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध नहीं होने या मार्ग में फॉग सेफ डिवाइस खूराब हो जाने पर, 75 कि.मी प्रतिघंटे की अधिकतम गति को 60 कि.मी प्रतिघंटे या उससे कम किया जाना चाहिए बशर्ते कि लोको पायलट के निर्णय पर निर्भर रहेगा ।
- प्रत्येक स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल स्थान किलोमीटर चार्ट प्रत्येक लोको पायलट को या तो आसानी से वहन करने के उद्देश्य से कार्ड के रूप में या कार्य संचालन समय सारणी में इसका उल्लेख किया जाए ।
- साइन 'ऑन' के समय कर्मिदल एवं गाई लॉबी में प्रबल कोहरे की स्थिति के बारे में अवगत किया जाना चाहिए

4. रेल पथ कर्मचारी -

- स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल के 270 मीटर पीछे कुहासा संकेत खंभा लगाया गया है.
- कुहासा संकेत खंभा तिरछे काले सफेद रंग से रंगा गया है. कुहासा संकेत खंभे के पास दो स्त्रीपरों के बीच ट्रेक के आरपार चूने से रंगकर निशान लगाया गया है.
- सीटी बोर्ड, फाग सिगनल पोस्ट, कार्यरत समपार फाटकों को निर्धारित रंगों से स्पष्ट रूप से पेंट किया गया है तथा दृश्यता सुधार करने हेतु उन पर लूमिनस स्ट्रिप्स लगाए गये हैं.

5. सिग्नल व दूरसंचार कर्मचारी -


- सभी सिग्नल यथावत साफ हो तथा फोकस सही रूप से ठीक किया गया हो.
- दृश्यता परिक्षण लक्ष्य (VTO) पोस्ट निर्धारित रंगों से स्पष्ट रूप से पेंट किया गया हो को रात के समय प्रदीप्त रखा गया हो.
- सभी सिग्नल साइटिंग बोर्ड को निर्धारित रंगों से स्पष्ट रूप से पेंट किया गया हो तथा दृश्यता सुधार करने हेतु उन लूमिनस स्ट्रिप्स लगाए गये हैं.

6. विद्युत कर्मचारी -

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्टॉप सिग्नल का पता लगाने के लिए सिग्मा आकार में रिट्रो रिफ्लेक्टिव पट्टी लगाया जाना चाहिए ।

नोट :

- इसके अतिरिक्त फॉग सिग्नल से संबंधित जी एंड एस आर (1999 संस्करण) के सामान्य एवं सहायक नियम 3.61, 4.08-3, 15.05, 15.09 इत्यादि को ध्यान देने हेतु सूचित किया जाता है.


(निसार ए देशमुख)

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी / सोलापुर